रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2015/श्रावण 26, 1937
No. 509] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2015/SHRAVANA 26, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 634(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 10ख की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 3, उप–खंड (i) तारीख 23 अप्रैल, 2015 में, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 315(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

2. उक्त अधिसूचना में–

(i) पैरा 1 में, "संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार" के स्थान पर "अपर सचिव" रखा जाएगा;

(ii) पैरा 2 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 3(3)/प्रकीर्ण/2015/पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड 3, उप–खंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 315(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2015

G.S.R. 634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 10B of the Company Secretariat Act, 1980 (56 of 1980), and in pursuance of Rule 3 of the Company Secretaries (Election Tribunal) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Corporate Affairs notification under G.S.R. 315(E), dated the 23rd April, 2015 published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 23rd April, 2015, namely :—

2. In the said notification,—

(i) in paragraph 1, for "Joint Secretary and Legal Advisor" substitute "Additional Secretary";

(ii) Paragraph 2 shall be omitted.

[F. No. 3/(3)/Misc./2015/PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. No. 315(E), dated 23rd April, 2015.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.